The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

Title

MR. SPEAKER: The question is: "That the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted. The Title was added to the Bill. SHRI CHAND RAM: I beg to

"That the Bill, as amended passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

MAVALANKAR PROF. P. G. (Gandhinagar): Minister of Works and Housing is not present. (Interruptions) Where is the next Minister? He has come. Let us adjourn for Lunch.

MR SPEAKER: You have accepted that. What can I do?

PROF. P. G. MAVALANKAR: People are under this impression that there will be lunch hour. Kindly adjourn the House for an hour.

13.24 hrs.

move:

[DR. SUSHILA NAYAR in the Chair]

MR. CHAIRMAN: I put it to the House whether lunch hour be suspended.

SEVERAL MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: So, there is no lunch hour. That is what the Speaker's told me to ask you.

PROF. P. G. MAVALANKAR: suspended earlier. Lunch hour was Now it is being restored. We want to restore the lunch hour.

MR. CHAIRMAN: If it is agreeable then, those in favour may please say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS:

MR. CHAIRMAN: Those against may please say 'No'. There is no one against. The motion is carried. We adjourn now and we will meet again at 2.25 P.M.

13.25 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Twenty-five Minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-four Minutes past Fourteen of the Clock.

[DR. SUSHILA NAYAR in the Chair] PUBLIC WAKES (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Sikandar Bakht.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND RE-HABILITATION (SHRI SIKANDAR your BAKHT): With permission. Madam Chairman I beg to move:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limutation) Act. 1959, as in force in the Union Territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

Madam Chairman, the Wakf Act of 1954 was made applicable to Delhi by the Wakf (Amendment) Act, 1959. The partition of the country had created a problem relating to the management of Wakf properties. To save the title of these properties from being lost on account of being in adverse possession for more than 12 years, the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act 1959 was enacted to extend upto the 15th August. 1967 so that the Wakf Boards constituted under the Wakf Act, can institute suits for recovery of such wakf properties. On account of inability of Wakf Board to complete-

[Shri Sikandar Bakht]

survey of property, the period of limitation was further extended twice by the Government one in 1967 and the other in 1969. In spite of these extensions, the request for further extension of limitation kept coming in. Considering that it may not be possible to extend the period of limitation for all the States, the State Wakf Boards were advised to approach their respective Governments for further extension. In the case of Delhi, the period of limitation was extended first upto 31st December 1972 by the Extension Limitation Act, 1972 and then again upto 31st December, 1975 by the Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Act, 1974. The Delhi Wakf Board again approached the Delhi Administration on 18th December 1975 for further extension of the period of Limitation. They said that they were not in a position to file the suit; against the unauthorised occupants of the wakf properties in Delhi and the survey of all the properties has not been completed. As the survew is still required to be completed, it is not possible to know the exact number of wakf properties under unauthorised possession. For this purpose, the provisions of the Public Wakis (Extension of Limitation) Act, have to be invoked. I therefore request that the Bill may be taken into consideration.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Public Wakfa (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union terrary of Delhi, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration."

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Madam Chairman we have before us Wakfs Bill in order to extend the limitation in the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act. It is most unfortunate that in spite of the lapse of such a long period, even the survey has not been completed, not to speak of the re-toration of the properties which are in adverse possession. This

is a very sad commentary on the management of the Wakis properties. I must therefore emphasise the necessity to move both with sincerity and speed . in the matter of completion of this survey. The hon. Minister has not sought to take this House into confidence as to what are those difficulties because of which even a survey has not been completed. My whole purpose of rising today is to emphasise this fact and that justice delayed is justice denied. And it is necessary that proper steps should he taken with speed and with sincerity. Let us know what are those difficulties because of which the survey has not been completed. Every time the Government coming before this House and asking for extension of limitation of the period because the survey has not been completed is rather an unfortunate occasion. Then, I must say let us hope from our new Minister and let him assure us as to how much more time will be needed for the completion of survey; and then secondly also have expeditious move in order to see that all these adverse possession are put an end to. It is very unfortunate that the properites of several mosques and others are still under adverse possession and I hope that the matter will be taken up with necessary speed. I need not dialate further upon this particular subject.

There is one more point which I have to place briefly before the House. The Public Wakfs Act requires a number of changes. There is need for comprehensive amendment to the entire Act. Let there not be mere piecemeal amendments. I understand there was already an enquiry committee to go into the whole question thoroughly and to report about the necessary amendments required in the Act. It is surprising and shocking that the committee took unduly long time a period of seven years, to suggest what changes were needed in the Act. After taking such a long time, after the committee members had moved throughout India and I should say, wasted a lot of time and money and after spending

a long period of seven years merely to suggest a change in the Act despite all that the matter hangs in the balance. Let us therefore know what is there in the mind of the hon. Minister with respect to the comprehensive amendments to the Public Wakf Act in order to make it effective and remove various difficulties and to see that the whole board also functioned smoothly and performed the functions for which they were put up. I hope the points that I had raised will receive due consideration.

I want an assurance from the hon. Minister about a time bound gramme with respect to the completion of the survey and an end to adverse possession of the properties of wakfs and secondly, an assurance with respect to a comprehensive amendment of the Public Wakf Act.

भी एम० रामगोपाल रेडी (निजामा-बाद) सभापति जी, चुकि वक्फ बोर्ड का मामला है इस वास्ते मैं उर्द में बोलना चाहता हु। इतने जमाने के बाद भी सर्वे म्कस्मिल नहीं हुआ है इंनकी जिम्मेदारी यातो बक्फ बोर्ड पर है. याजो स्टेटस के बक्फ बोडं है उन पर है। तो भ्राप किसी न किसी के ऊपर जिस्मेदारी मुकर्रर कर के काम कीजिए ग्रगर वक्फ बोर्ड में नोमिनेशन करते जायेंगे. कोई काम नहीं करेंगे बल्कि पैमा इधर उधर खर्च करेगे भौर भाखिर में उनका कोई काम नहीं होगा और एक बार एक्सटेशन हमा. दूसरी बार एक्सटेशन मिला, नीसरी बार मिला, इस तरह से कब तक चलेगा। इसकी कभीनकभी रोकना चाहिए।

इस बीच मे जो बक्फ प्रोपर्टीज हैं जब सर्वे ही नही हुआ है कि आपकी कितनी जाय-दाद है, यह मालम ही नही है, तो मैं समझता हं कि बहुत से लोग नाजायज कब्जा किए हुए होंगे। तो उनको फायदा हो रहा है। ना-आयज कब्जा जब किसी का ही जायगा ती उसको निकालने के वास्ते या तो प्रक्तिया-रात वक्फ बोर्ड को होंगे या गवर्ग नेट को हैं

या नही, मझी पता नहीं। भीर उसके वास्ते कानन पास करना पडता है। क्योंकि कानन किसी को नाजायज कब्जे से बेदखल नहीं करता है। बेदखल करने वाला ऐंग्जी-क्यटिव अफसर होता है। तो क्या ऐग्जी-क्यादिव ब्रफसर को पूरी पावर्स है ? मेरे जिले में बहुत से ऐसे मामले सामने आये हैं. धीर बाज वक्त जब निकालने की कोशिश करेंगे तो लोग गलत किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन होताजब कभी सर्वे करके देगा तो ऐंग्जी-क्यटिव ग्रफसर, कमिश्नर कलेक्टर जो भी जिले का होता है उसकी फोरन ऐक्शन लेना चाहिए क्योंकि देर करने से कई किस्म की ग्रफवाहे फैलती है। तो इस बास्ते भपने जमाने मे मेहरबानी कर के इन बक्फ प्रापर्टी का पूरा सर्वे जल्दी कराइये और उसके वास्ते कितना टाइम लगेगा, यह भी फरमाइये भीर उस टाइम पर पूरी पाबन्दी से इसरार की जिए। ग्रगर एक बोर्ड काम नहीं करता दे तो फोरन जसबोर्ड को निकालकर धीर बोर्ड बनाइये. लेकिन पोलिटिकल लैंबल पर वक्फ बोर्डन बनाइये। जो खदा का खौफ रखते है. ईमान रखते है, उनको बोर्ड मे लीजिए ताकि भ्रच्छाकाम हो सकै।

(Extn. of Lim.)

मै समझता ह कि हमारे भ्रान्ध्र प्रदेण भौर जिले में ग्रन्छा काम हो रहा है, उसकी मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। मेहरबानी कर के धाप तफसील से इसकी इन्क्वायरी. कराकर जल्दी से जल्दी इसका इतजाम कराइये. यह ग्रापकी डयटी है, लोग ग्रापके ग्रहसान को सानेगे।

भाप भ्रच्छा काम करते है. मैं भापको इस मुबारक कदम के लिये मुबारकबाद देता हू।

SHRI P. RAJAGOPAL (Chittoor): Madam Chairman, with regard to these wakf boards and wakf properties. I would tell the Minister that they are not being properly managed and the properties which are in the States i.e. at many places, are not [Shri P. Rajagopal Naidu]

Public Wakfs

being surveyed and they are not gazetted. Even when the muslims send petitions to the wakf boards, the wakf boards are not taking interest, they are not taking cognisance, with the result they are not getting all these things surveyed and gazetted. I know m my own place-Aragunda Venkatagirı and so many places-the wakf properties are in other hands I do not know why these things are not being surveyed. Therefore, I want to suggest to the Minister that the Wakf Board Act must be revised in such a way that it is quite possible for anybrig who manages them to get all the properties surveyed and gazetted.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Will you give us an assurance of a time-bound programme to bring forward the amendments

धी सिकस्बर बक्त मैडम चेयरमैन. जिस चीज के लिये मैं खास तौर से इस हाःस के सामने हाजिर हथा ह वह बहत ही सीमित धीर महदद मकसद के लिये है। कुछ बाते इस मौजदा बिल की सीमा के बाहर की है. लेकिन चिक मेम्बरों ने कुछ कसर्न का इजहार किया है, मै उनके मुताल्लिक भी कुछ न कृष्ण ग्रजं करना चाहगा।

यों तो वक्फ की सर्वे पूरी नहीं हुई है, इसका एतराफ करने के बाद ही यह गुक्सटेशन का बिल लेकर मैं खिदमत में हाजिर हमा ह। वह क्यो नही हमा, मैं इसके लिये सिर्फ रिशेट कर सकताह, वजह तो सिवाय सुस्ती स्रौर काहिली के भीर क्या हो सकती है। मझे भ्रफसोम है. ऐसा नहीं होना चाहिये था। मैं झानरेबल मेम्बर, की तजवीज से इतिफाक करता ह हालांकि यह मामला लोकल स्टेट बोर्डज का ग्रीर स्टेट गवर्नमेट का है, लेकिन सैटल वक्फ बोर्ड कोशिश कर रहा है कि वह निगरानी रखे ताकि यह काम जन्दी हो. और टाइम वाउन्ड की बात को तो यह बिल सीक ही कर रहा है कि 1980 तक के लिये इसकी धक्सटैड किया जाये।

बार सक्सी नारायण पांडेय (मंबसीर): सभापति महोदया, स्टेटस के क्कफ बोर्ड के बनाब हुए बच्चों हो गये, कोई ध्यान ही नही देता है। उसके कारण दक्फ से सबंधित सारी प्रापर्टीज को नक्साम हो रहा है। बराबर उसका बाबह भी किया जाता है, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नही दिया जाता । सेन्टल वक्फ की भी यही दशाहै।

(Extn. of Lim.)

(Delhi Amdt.) Bill

सञ्चापति महोदय ग्राप इस समय उनको इन्टप्त करने की जगह जब इस पर वर्ड रीडिग हो. तो बोलिये।

भ्री सिकलार बच्च . मैं उनकी परेशानी दूर कर द कि वक्फ बोर्ड जो है। ये एक्ट के मातहत बनाये जाते है भौर उनके लिये समय मकरंर है भीर उस समय के बाद बनाना ही होता है। उसके बाद कोई चारा नही है। मेरे नोटिस में कम-से कम ऐसी कोई बात नहीं है कि किमी जगह कोई वक्फ बोर्ड मकरेंर समय को ज्यादा रुका हमा है।

एक प्रानरेवल मेम्बर ने कहा था कि वक्फ इन्क्वायरी कमेटी जो मुकर्रर को गई थी फार एनप्रीहैसिव वक्फ एक्ट, तो मैं भर्ज करना चाहगा कि उनकी रिकमैडेंशन हासिल की गई है जो कि भड़र एक्जॉमिनेशन है भीर खास तौर पर असम दो पहल देखने की जरूरत है कि कौनसी बात ऐसी है कि जिसके इन्टोइयस करने से कोई कास्टीटयशनल काटेडिक्शन न हो या कोई लीगल डिफिकल्टी पैदान हो। बह जेरे गौर है। अब यह तो मैं अभी नहीं कह सकता, प्रगर मुझे मालम होता कि गर करने की भी मियाद मकर्रर होती है तो जरूर कर सकताथा।

दूसरी बान यह कह रहा था कि हमारे मानरेवल मेम्बर, ने कहा कि एग्जीक्यटिव भाफिसर के पाम इस किस्म की ताकत होती चाहिये कि बगैर भदालती कार्यवाही के बह भगर एडवर्स पोजीशन मे जायदाद हो, तो वहम्बत करासके। यह मुमकिन नही है. क्योकि क'नुनी दिक्कते हैं।

258

की अध्येगी।

इसलिये यह एक्सटैंशन प्राफ लिमिटेशन के लिये हम बाकायवा यहां खिवमत में हाजिर हुए हैं। प्रवासत में मुकदमा दायर करना होता है कि एडवर्स पोंजांशन है। प्रव 12 बरस से ज्यादा का एडवर्स पोंजांशन हो, उसके लिये यह एक्सटैंशन प्राफ लिमिटेशन की दरख्वास्त लेकर प्राफ्ती खिदमन मे हाजिर हुए हैं। मैं वाषेह तौर पर तो नहीं कह सकता हं, लेकिन यह यकीन जरूर दिल्ली मे दोबारा एक्सटेंशन की जरूरत न पड़े, उस के लिए पूरी जहों जहद, कोशिश ग्रीर निगानी

भी भी एम० बनतवाला : यह तो मुबहम जवाब है।

श्री सिकन्यर बस्त बिलकुल मुबहम नही हैं।
मैंने 31 दिसम्बर, 1980 तक के लिए एवसटेंगन की दरख्यास्त की हैं? हालांकि यह दिल्ली
एडमिनिस्ट्रेमन भीर दिल्ली स्टेट बक्क
बोर्ड का काम है, लेकिन मैंने म्रजं किय' है कि
बैट्रल वक्क कौंसिल इस की निगरानी करेगी,
ताकि दोवारा इम की एक्मटेंगन न होने पाये।

भी यसन्त साठे (ग्रकोला) : कीन सरवे कर रहा है ?

भी सिकन्यर यदत . दिल्ली मे वयक कमिण्नर कर रहेहै।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: There are no amendments. I shall now put clause 2 and clause 1 to the vote of the House. The question is: "That clauses 2 and 1 stand part of the Bill."

The motion toas adopted.

Clauses 2 and 1 were added to the

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Enacting Formula and the Title to the vote of the House.

The question is

"That the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula and the Title
were added to the Bill

SHRI SIKANDAR BAKHT: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR CHAIRMAN . Motion moved .

"That the Bill be passed"

डा० सक्सी नारायण पांडेय (मन्दसीर): सभापति महोदय, जैसा कि श्री साठे ने कहा है. क्या मली महोदय कोई समय-सीमा तय कर सकते है कि कमिश्नर कब तक इस कार्य को पराकर देगे या 1980 के बाद भीर समय नही बढाया जायगा । विभिन्न राज्यो में बक्फ बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। क्या मत्नी महोदय कृपा कर के यहां से निर्देश देगे. ताकि राज्यों के वक्फ बोर्ड ठीक तरह से काम करे ? क्या मजी महोदय इस सम्बन्ध से कोई मस्मिलित कानन बनाने की कोशिश करेगे ? मजी महादय अपने जबाब में कहेंगे कि यह राज्य सरकारों का विषय है। लेकिन फिर भी वह इस प्रकार के निर्देश दें कि सभी राज्यों में एक सरीखी व्यवस्था हो. और सभी यह महसूस कर सके कि विभिन्न राज्यों में इस बारे में कोई भेदमान या भिन्नता

श्री लक्ष्मी नारायण [पाडय]
नहीं है। तथा वक्ष्म जो कई मामलो में अपने को ससहाय पाते हैं सलमतापूर्वक काम कर सके।

भी रीतलाल प्रसाद वर्गा (कीडरमा) सभापति महोदय, मैं इस बिल के सदर्भ में केवल एक दी प्रश्नो की भीर मत्री महोदय का ज्यान भाकवित करना चाहता ह।

हर राज्य मे वनफ बाडं काम कर रहे है, लेकिन उन का काम सतोषजनक नहीं है। मै बिहार का उदाहरण देना चाहता ह। ऐसा लगता है कि वहा के बोर्ड को कोई देखने वाला नही है। जहां तक वक्फ की प्रापर्टी का सम्बन्ध है, यह देखा गया है कि वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति का मकान किराये पर देता है. लेक्नि वह व्यक्ति किसी दूसरे को ज्यादा किराये पर सबलेट कर देता है भीर खुद मुनाफा कमाता है। इस तरह की भीर भी बहुत सी बार्ते है। चक्फ बोर्ड का ग्रार्गनाइजेशन भी दाषपूर्ण है। एक ही मधिकारी को बार-बार नामीनेट किया जाता है, ब्रीर इस प्रकार दह बहुत लम्बे समय तक ग्रपने पद पर बना रहता है। इस लिए बोर्ड को रीस्ट्रक्चर करने के लिए एक सैल बनाना चाहिए। इस को देखना चाहिए कि किस तरह से बक्फ की फक्शनिग बहुत ग्रच्छी हो ग्रीर कारगर रूप मे जो वक्फ का उद्देश्य है उस की पूर्ति हो भीर उस का ठीक से उपयोग हो । उसक जितना लाभ जिसको होना बाहिए उसको वह हो सके। यह ठीक से होता नहीं । कुछ लोग बनें हैं ता मठाधीश की तरह जमकर बैठै है। इसलिए इस के ऊपर फिर से विचार करने की जरूरत है भीर इस को रिवाइज करने की बहुत ग्रावश्यकता है। में बाहगा चि म ती महोदय इसपर मझे ग्रास्वासन देगे कि इस दिणा मे कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री बसंत साठे (श्रकोला) सभापति महोदया, मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता ट्टा प्राप ने कहा कि 1980 तक प्राप एक्सटेंशन माग रहे हैं तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस दरम्यान ग्राप का जो कुछ सर्वे वगैरह का काम है वह पूरा हो जायगा भीर जो रेकमेडेशस माप के पास कमेटी की भ्रागई है उन पर गौर पूरा हो जायगा भौर तब तक भ्राप कोई भ्रमेडमेट ऐक्ट मुकम्मिल तरीके से इस सारे कानून में ले आएगे ? जो तरमीम आप को इस में लानी है वह भाप तब तक ला सकेंगे? क्योंकि जैसे कि हमारे दोस्तो ने मर्ज किया भाज बहत गडबडिया वक्फ कानून मे हो रही है ग्रीर जैसे कि दूसरे ट्रस्ट् में ग्रीर दूसरे काननी हैं उसमें तरह से यहा भी मठाधीश लोग बन गये भौर कायम हो गए। दिल्ली मे भी है, म्राप जानते है भीर उस के नीचे हर तरह की हरा फेरी, शकरा-तफरी हो रही है। पैसे का कोई हिसाब नही, जायदाद का कोई हिमाब नही। यदि जो सारे मामले हो रहे है इस को ठीक करने के लिए जा कानून मे तरमीम करना चाहते है क्या 1980 के पहले या हा मके ता उस के भी पहले ऐसी तरमीम आप लाएगे, यह श्राश्वामन ग्राप इस सदन का देग े यही मेरी दरख्वास्त है।

भी केशवराव घोडगे (नांदेड) : सभापति महोदया, मैं भाप के माध्यम से मत्री महोदय से गुजारिश करूगा कि वक्फ का जो कारोबार है वह सेट्रल गवर्नमेट का और, छोड दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र राज्य के चन्दर का जो हमारा तर्जवा है वह बहुत ही बुरा है। वक्फ की प्रापट माले गीमत की प्रापटी बन चुकी है। जैसे कि कोई पनाहगाजी होता है वैसे वह वक्फ की प्रापर्टी पनाहगाजी बन चुकी है। इस के लिए कोई वारिस है या नहीं? जिस वे हाथ में डडा है वही उसका मालिक बन जाता है। जैसे बडे-बडे मदिरो की प्रापर्टी चन्द पुजारियों ने नाम से हो गई । वही हाल इस का भी है। खुद मेरे बहादुरपुरा गाव के ग्रन्दर एक सार्वजनिक बिट्डल मन्दिर है, उस का पूजारी एक नरहरी घटयेबार ना । उस ने बूद अपने को नयहरि विठोबा बनाकर विठोबा को ही बाप बना दिया और पूरो प्रापर्धी जमीन हुज्म व जन्त कर ली। इसी तरह से कई काजी चीर मुल्लाचों ने, दरगाहे **शरीफ के नाम से हजारों** एकड की जमीन भी. कोई इनामी जमीन थी, उस इनामी जमीन को उन्होंने फरोक्त कर दिशा भीर खुदा भीर मस्जिद भीर मजहब ने नाम से उस प्रापर्टी को माले गनीमत समझ कर लुट लिया। तो एँसा कोई कानन होना चाहिए। जिन लोगो ने मजहब के नाम पर इस प्रापर्टी का नाजायज फायदा उठा कर किसी को लटा हैं तो इस मे तरमीम होना बहुत जररी है । सदर साहब इस ने माथ साथ मैं यह भौर गुजारिश करूगा कि यह वक्फ का जो मसला है वह बहुत नाजुक मसला है। इसकी जितनी प्रापर्टी है वह नोटिम मे गजेट मे ग्रानी चाहिए। ग्राज वक्फ बोर्ड कह देता हैं कि हमारी प्रापटी इतनी है बस खत्म हो जाता है। प्रगर कोई दूमरा बादमी कहता है कि यह प्रापर्टी उस की नही है तो बहा पर फिरकापरस्ती का झगडा पैदा हो जाता हैं। यह गलत बात है। मैं भ्राप व माध्यम से सरकार को गुजारिश करूगा वि ऐसा वक्फ कानून हो जिस के द्वारा विसी के साथ नाइसाफी न हो भीर जिस मक्सद के लिए एक मवेबल और इम्मुबबल प्रापर्टी रखी गई है उसके लिए सही भीर जायज तौर से उस का इस्तेमाल हो। अफसोस की बात हैं कि वक्फ की ऐसी लाखी करोड़ो म्पए की दौलत हैं मगर जिस मकसद के लिए रखी गई है उस मकसद के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है बॉल्क बडे बडे जो दलाल है, वे दलाल ही उस का इस्तेमाल करते है भीर उस मजहब को, उस मदिर को, उस मस्जिद को बदनाम करने की कोशिश भरते है। इसलिए मैं यह कहना कि जो भगवान को भीर परवरदिगारे भालम को भी रहन भौर गिरवी रखना चाहते हैं, उस को लूटने का साधन बनाना चाहते हैं उनके बारे मे सजा देने की भी भाषके कानून मे कोई चीज

होनी चाहिए । जो झादमी, जो मुस्ला या काजी मजहब के नाम परनैरइस्लेमाल इसका करे उस को भी सजा मिलना बहुत जकरी है। वरना वक्प की प्रापर्टी चोरों की प्रापर्टी बन जाएगी ग्रीर सगडे ज्यादा बढेंगे है

15 00 hrs.

अनुदाको नाम पर कई एकड जमीके होती हैं जबकि उसके बन्दे खेतिहर मजदूर है, किसान है। उसका जमीदार है खुदा ग्रीर उसके पुजारी उसके जमीदार होते उनके भक्त भूमिहीन हैं 🕽 लिहाजा में गुजारिश करूगा कि इस तरह की प्रापर्टीच काजो भाजभी नाजायज फायदा उठाया जा रहा है भीर इस तरह की प्रापर्टी के नाम पर सियासत खेली जा रही है दूसरे मजहब के साथ भी नाइन्साफी की जा रही है। भीर मजहब के नाम पर जो चल रहा है उसको हम तोडना चाहते है या नहीं ? मुझे फखा है कि महाराष्ट्र मेपढरपूर के बिठोबा मन्दिर के नेशनलाईजेशन के बारे मे भीर वहा के पूजारियों को हटाने के लिए एक कमीशन मुकरेर किया गया जिमके सदर थे बैरिस्टर प्रतुले साहब जो कि एक मुसलमान हैं। मुझे फब्स है कि मैं भी उस कमेटी मे मौजूदथा। एक मसलमान होने के बावजूद भतुले साहब वहा पर सदर हो सकते है लेकिन विक्फ बोर्ड मे---हालािक हम जमहरियत का, समाजवाद का सक्यूलरिज्म का, नाम लेते है-हिन्द्रश्रो का एक भी नुमाइन्दा नाकाबिल बर्दाक्त है, हम कुफ बन जाते है। हालात वे लिष्ठाजासे भ्रीर जमाने की तबदीली के लिहाज से एक हिन्दू को भी माप उसमे लीजिए ताकि वह भी ग्रपने ख्यालात का इजहार कर सवे। हिन्दू मुसलमान भाई भाई है। मुहरम मे वे मदद करते है, सवारी पकडते हैं भवकाफ के कान्त से

[भी केशवराव वोंडने]

दरनाइ ने हम चल सकते हैं, हमारे उसे. सदक, मन्नत, रोट, चलता है, मोचें चलत हैं लेकिन एक हिन्दू के आने से बक्फ बोर्ड कतरे मे भा जाता है। यह भजीव बात है। लिहाजा मेरी गजारिश है मजहब के नाम पर खुदा के नाम पर जो प्रापर्टी है उसका नेशनलाईजेशन करना बहुत जरूरी है। मैं गुजारिश करूगा कि किसी मदिर या मस्जिद के नाम से धाप प्रापर्टी मत रखें। इस चीज को माप खत्म करे चौर साजवादी दृष्टिकोण से जमहरियत की बुनियाद रखने हुए ऐमी प्रापर्टी की मिल्कियत में किसी काजी या मुल्ला को मत रखें बल्कि पूरी कोम को रखे। वही उस की मालिक है। उस के लिए एक ऐमा बोर्ड कायम करे जिसमे हर मजहब भीर मिल्लत के लोग रहे भीर इस्लाम काजो बुनियादी फल्सफा है वह भी टुटनेन पाये। ग्रगर इस तरह की कोई तरमीम वक्फ एक भीर बोर्ड मे नही होती है तो उपका मतलब है कि हम भी वहीं चाल चल रहहैं। जो पहले चलते थे। सन् 1980 तक म्रापने एक्सटेशन दिया है लेकिन उसके बाद दोबारा वही चीज न हो। जो इरैग्युलैरिटीज हा चुकी है वह दुरुस्त हो और वक्फ व नवानीन का और बोर्डी का यूनिफिकेशन ग्र्याउट इंडिया करने की बहुत जरूरत है। स्योनि यह जमाने की माग है। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत लेगा हु। जयकाति।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्यर वक्त): सदर साहिबा, मैं आनरेबिल मेम्बर का बहुत गुक्रगुजार हु कि उन्होंने मेरी वाक्तियत मे बहुत इजाफा किया लेकिन इस वक्त जो विल था, मैं ने पहले भी अर्फ किया बहुत पीमित मकसद से सिर्फ दिल्ली की लिंग हैं गन के एक्सटेशन के लिए जेरे गौर था। महाराष्ट्र मे क्या हो रहा है उसको बताने के लिए मैं उनका मुक्कगुजार हु, मेरी वाक्फियत में उससे बहुत इपाफा हका है। मैं दोबारा दोहराना चाहता हु कि सेन्ट्रल वक्फ कौसिल ने हमारी पूरी कोशिश होगी लेकिन इस दका जो एक्सटेंशन कराया है उसमे दोबारा इजाफा करनेकी जरूरत पेश न स्राये। वर्क बोर्ड के रिम्नार्गेनाईजेशन का जहां तक मबाल है वह वक्फ ऐक्ट के मातहत है लेकिन दिल्ली बार्ड का जहा तक ताल्लुक है उसका दर्न घगस्त 1978 में खत्म हो रहा है। यह ठीक है बगर इक्वायरी वर्गरह की जाये तो उसको सुपरसीड किया जा सकता है लेकिन 4-6 महीने केलिए इस किस्म की सुरत ग्रमल मे लाई जाये, मै समझता ह गैर जरूरी है। हर बक्फ बोर्ड का बक्फ ऐक्ट के मानहत रिमार्गेनाईजेशन होगा और जा मानरेबल मेम्बर्सकी तजदीजे है, जो सर्जेम्बन है, उनको जरैगीर रखा जायेगा जहातक कानून को बदलने का ताल्लुव है में पहले अर्जकर चुकाह कि जो कमटी बनाई गई थी. उसकी सिफारिशात जेरेगीर है भीर कोई फैसला हो∩े ही उस पर लिमिटेशन 31 ग्रमल होगा। यह दिसम्बर, 1980 तक की है, यह कमेटी की रिकमैण्डेशन्ज से जड़ी हुई नहीं है। मैं उम्भीद करताह कि यह बिरु पास कर दिया जायेगा।

MR CHAIRMAN The question is:

"That the Bill be passed"

The motion was adopted